न्यायालय, मुंसिफ, अनु0 व्यवहार न्यायालय डुमरॉव, बक्सर।

टी0एस0–10 / 2023

आदेश

27.04.2023

आवेदक की हाजिरी दी गयी। आवेदक के तरफ से रजिस्ट्री रसीद दाखिल किया गया। आवेदकगण के तरफ से शपथ पत्र एवं अधिवक्ता के अधकार पत्र के साथ एक आवेदन पक्षकार बनने हेतु दिया गया है। आवेदकगण का कथन है कि प्रस्तुत विविध वाद आवेदकगण के प्रार्थना पर इजराय वाद सं0–1–ए / 2015 से उद्भूत है। प्रस्तुत विविध वाद के आवेदकगण आदेश–21 नियम 97 के तहत आवेदन देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। आवेदकगण का वाद भूमि में पर्याप्त हित निहित है और निर्णित ऋणी जेन्दा यादव से बाद में अन्तरग्रस्त भूमि के क्रेता है। अतः क्रेता जेन्दा यादव मूल प्रतिवादी से उनके हिस्से की भूमि हित दौरान मूल वाद क्रय करने के दखल में आए और विविध वाद के पक्षकार आवेदकगण जेन्दा यादव के हकियत एवं कब्जे के आधार पर भूमि क्रय करने के दखल में आए तथा अपने–अपने क्रयसुदी भूमि पर दखल आज तक कायम है। वर्तमान आवेदकगण भी समान स्थिति में है ये लोग भी विविध वाद के मूल आवेदकगण के तरह ही वाद भूमि के क्रेता है तथा वे भी समरूपहित वाद भूमि में संनिहित है। ऐऐी हालत में आवेदकगण को विविध वाद सं0–10 / 2023 में आवेदक के रूप में संयोजन से मामले में अंतरग्रस्त सभी प्रश्नों का एकमुस्त निबटारा हो सकेगा। अतः आवेदकगण को पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण मूल आवेदकगण के तरह ही भूमि के क्रेता है तथा इनका भी समान हित वाद भूमि में सन्निहित है। ऐसी हालत में न्यायहित में आवेदकगण का वर्तमान विविध वाद में पक्षकार बनने की अनुमति प्रदान की जाती है।

वाद दिनांक–20.06.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

मुंसिफ, डुमरॉव